2012/02024

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : **93/2012** (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार **लाडपुरा** जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. घासीलाल पुत्र माधोलाल
2. किशनलाल पुत्र गोपाल
3. रंगलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासीगण ग्राम डोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह राजकीय अभिभाषक
2. श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1)

प्रार्थना पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक :22.01.2020

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार **लाडपुरा** जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नं0 359 रकबा 1.20 हैक्टर, 360 की 1.30 हैक्टर वर्तमान जमाबन्दी सं0 2064 से 2067 तक मे खाता सं0 11 पर खातेदार घासीलाल पुत्र माधोलाल किशनलाल, रंगलाल पि0 गोपाल जाति मीना सा0 डोबडा मे दर्ज है । ग्राम पदमपुरा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नं0 186 की 2 बीधा 10 बिस्वा गैर मु0 नाला खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड था । बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नं0 186 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा जो खाता सरकार गै0 मु0 नाला दर्ज थी को खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि है एव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खातेदार की भूमि वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पदमपुरा के ख0 नं0 359 रकबा 1.20 हैक्टर, 360 रकबा 1.30 हैक्टर जो खातेदार घांसीलाल पुत्र माधोलाल, किशनलाल, रंगलाल पि0 गोपाल के खाते मे

दर्ज है । उक्त रकबे मे से खसरा नं0 186 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा जो खाता सरकार गै0 मु0 नाला दर्ज थी को खातेदारी मे दर्ज कर दी गई के रकबे को कम करते हुए पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन **गैर मु0 नाला** पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने का निवेदन किया ।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से श्री रामप्रसाद नागर एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी किशनलाल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी रंगलाल के संबंध मे पटवारी हल्का डोवडा द्वारा अवगत कराया है कि वह 15–20 वर्षो से लापता बताया है ।

3. वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर बहस करनी चाही गई ।

4. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी नं0 1 की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 में ग्राम **पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा** के गत खसरा नम्बर **186 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला** दर्ज रिकार्ड थी । मिलान क्षेत्रफल **सम्वत 2038–57 के अनुसार उक्त खसरा नं0 186 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा तथा खसरा नं0 184 मि0 के रकबे को शामिल कर नये खसरा नं0 359 रकबा 1.20 हैक्टर व खसरा नं0 360 रकबा 1.30 हैक्टर कायम करते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज कर दिये है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2038–57 से होती है** । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 के क्रम में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर आराजी गत खसरा नम्बर **186 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला जो वर्तमान खसरा नं0 359 रकबा 1.20 हैक्टर व 360 रकबा 1.30 हैक्टर मे शामिल किए गये है की उक्त 2 बीधा 10 बिस्वा भूमि की सीमा तक** अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में दर्ज करने एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार **लाडपुरा** द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा